

13-6-18

श्रीराम
D-111

बहुलाय उप ०

अपी० कारिमा एवं उपस्थित हुआ। अपी० की लोक अदालत की भावना से समझाई की गई। अपी० एवं रेखा ० के माध्यमता भी उपस्थित। बाद समझाइस अपी० समझौते के लिए सहमत हुआ। अपी० द्वारा निवेदन किया गया कि अब उक्त मुकदमे में लोक अदालत की भावना से हमारा सम्पर्क हो गया है तथा अपी० द्वारा अपने आर्के० के माध्यम से शर्णापत्र आवत विज्ञापक प्रस्तुत किया। प्रस्तुत विज्ञापक शर्णापत्र के अनुसार अपी० ने निवेदन किया है कि उपरोक्त अधिकारी जाकर परा अपने निर्णय में राहता देने के संबंध में मुआवजा राशी निर्णय अनुसार मुझे प्राप्त नहीं हुई है। उक्त राशी मिलने हेतु निवेदन किया गया है उक्त शर्णापत्र अनुसार प्रकाश गरिमे राशी नामा स्वीकार कर इस निर्णय के अनुसार मुआवजे की राशी का भुगतान अपी० को किया जाये। इस आदेश की पूर्ति के साथ मूल रेकॉर्ड लौटाया जाये। अतः लोक अदालत की भावना से मुफ्त में फैसले कुमार होकर नबकर से कम ले।

वाकरीया
निम्न
D-111
13-6-18
Adv

निम्न
वाकरीया
D-111
13-6-18
Adv